बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री कमालुद्दीन (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–139/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, आन्दर, सिवान सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, अकबरपुर, नवादा के विरूद्ध पी0डी0एस0 दुकान के गोदाम को सील नहीं किये जाने, भंडार पंजी पर निरीक्षण तिथि को कोई टिप्पणी अंकित नहीं किये जाने, भंडार पंजी को जब्त नहीं किये जाने तथा गोदाम सील नहीं करने के कारण अक्रामक भीड़ के प्रतिरोध एवं उग्र होने तथा इसका जिक्र दर्ज प्राथमिकी में नहीं किये जाने संबंधित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–51 दिनांक–12.01.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–2072 दिनांक–04.05.2022 द्वारा इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3001 दिनांक–21.06.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के तहत श्री कमालुद्दीन की 02 वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध श्री कमालुद्दीन द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अपीलीय प्राधिकार द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक–20.08.2025 को पारित आदेश के माध्यम से इनके विरूद्ध संसूचित दण्डादेश ज्ञापांक–3001 दिनांक–21.06.2024 को निरस्त (set aside) किया गया। साथ ही, अभिलेख पुनर्विचार हेतु Remand करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया। अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन के आलोक में असहमति का बिन्दु अंकित कर विभागीय पत्रांक–2729 दिनांक–09.10.2025 द्वारा श्री कमालुद्दीन से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधान के आलोक में लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री कमालुद्दीन द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री कमालुद्दीन द्वारा मुख्य रूप से अपीलीय प्राधिकार के समक्ष समर्पित अपील अभ्यावेदन, जिसे अपीलीय प्राधिकार द्वारा स्वीकार किया गया है, की पुनरावृत्ति करते हुए अंकित किया गया है कि सम्पूर्ण घटनाक्रम वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में था तथा तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर घटना स्थल पर स्वयं उपस्थित थे, परन्तु उनके द्वारा कोई निदेश नहीं दिया गया। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के नियम–20(iii) एवं 26 में निहित प्रावधानों यथा–अनुमंडल पदाधिकारी को निरीक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई करने तथा अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ किसी अन्य पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं करने से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन उनके द्वारा नहीं किया गया है। श्री कमालुद्दीन द्वारा यह भी कहा गया है कि उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप मात्र प्रक्रियात्मक बिन्दुओं के संदर्भ में है, जो उनसे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। यद्यपि श्री कमालुद्दीन का कथन सैद्धान्तिक रूप से आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने की श्रेणी में है। तदापि निरीक्षण प्रतिवेदन तथा दर्ज प्राथमिकी में वास्तविक तथ्यों की प्रविष्टि की जिम्मेवारी संबंधित आपूर्ति निरीक्षक/पदाधिकारी की है। विक्रेता द्वारा आहूत अक्रामक एवं अपराधिक भीड़ के प्रतिरोध एवं उग्र होने की प्रविष्टि प्राथमिकी में दर्ज किया जाना समीचीन था। फलतः प्रतिवेदित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होने की श्रेणी में है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत श्री कमालुद्दीन (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–139 / 2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, आन्दर, सिवान सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, अकबरपुर, नवादा को निन्दन (आरोप वर्ष 2018–19) एवं 02 वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित करते हुए प्रस्तुत आरोप प्रक्रम को समाप्त किया जाता है।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(सिवान)–01 / 2022 – 3329 खाद्य, पटना / दिनांक–23/06/2026

प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, सिवान एवं नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिवान एवं नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली, नवादा एवं सिवान सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. श्री कमालुद्दीन (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–139 / 2024), आपूर्ति निरीक्षक, अकबरपुर, नवादा, मोबाईल संख्या–9801278418, E-Mail - kamalsaratha2@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\2025\Punishment Order\Kamaluddin.doc